मांग संख्या 23

मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 1 से 2

बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना अंतर्गत निम्नलिखित कार्यो को अपरीक्षित नवीन मद के रूप में शामिल किया गया है:-

1. धमतरी जिले के नया रूद्री बैराज के बांयी तट पर ऊपरी सतह में गाईड बंड निचली सतह पर बांयी तट में स्टोन पिचिंग का कार्य, नदी के दोनों तटों पर सुरक्षा दिवाल का निर्माण, सी.सी.टी. व्ही. तथा स्काडा कार्य की अनुमानित लागत ₹1200.00 लाख है।

2. धमतरी जिले के मुरूमसिल्ली बांध के सेडल-I व II में वेस्ट वियर का निर्माण, बांध के ऊपरी सतह पर डिस्टर्ब पिचिंग का रिसेटिंग का कार्य, पेरापेट वाल तथा फेंसिंग कार्य की अनुमानित लागत ₹1300.00 लाख है।

3. मुंगेली जिले के मनियारी जलाशय के वेस्ट वियर में द्वितीय स्पिल चेनल में लाईनिंग का कार्य, डिजिटल वाटरलेवल, पिजोमिटर बाढ़ मानिटरिंग सिस्टम, सी.सी. रोड निर्माण, बांध में जमी गाद की सफाई की अनुमानित लागत ₹3500.00 लाख है।

4. कांकेर जिले के दुधावा जलाशय के स्पिल चैनल की चौडी/गहराहीकरण, अतिरिक्त एप्रोच चेनल व गार्ड बंड, वेस्ट वियर में ब्रीज व गेट का प्रदाय व स्थापन, बांध के प्रोफाईल का रिसेक्सनिंग कार्य की अनुमानित लागत ₹4000.00 लाख है।

अत: उक्त प्रयोजनों हेतु ₹ 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है। शेष आवश्यक व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

मुख्य शीर्ष 4701

मद क्रमांक 3 से 4

बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना अंतर्गत निम्नलिखित कार्यो को अपरीक्षित नवीन मद के रूप में शामिल किया गया है:-

1. बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के पेन्ड्रावन जलाशय बांध में रिसेक्शन के लिए मिट्टी का कार्य, एप्रोच चेनल तथा स्पिल चेनल में मिट्टी का कार्य वेस्ट वियर में फाल का निर्माण, बांध पर विद्युतीकरण कार्य की अनुमानित लागत ₹ 3000.00 लाख है।
2. रायगढ़ जिले के किंकरी जलाशय बांध रिसेक्शनिंग, बांध के टाप में पेरापेट वाल का निर्माण, बांध के टाप में विद्युतीकरण तथा इंस्ट्रूमेंटेशन स्थापन कार्य की अनुमानित लागत ₹1100.00 लाख है।
3. मुंगेली जिले के घोंघा जलाशय के बांध का रिसेक्शन का कार्य, वेस्ट वियर में फाल का निर्माण, सी.सी. रोड् का निर्माण, बांध में जमी गाद की सफाई, बांध में विद्युतीकरण का कार्य तथा इंस्ट्रूमेंटेशन स्थापन का कार्य, पीजोमिटर बांध मानिटरिंग सिस्टम कार्य की अनुमानित लागत ₹900.00 लाख है।

अत: उक्त प्रयोजनों हेतु ₹ 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है। शेष आवश्यक व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।